E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 5(1): 323-327
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 05-02-2023
Accepted: 10-03-2023

सरिता सैनी
शोधार्थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

Corresponding Author:
सरिता सैनी
शोधार्थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिताः जयपुर जिले के विशेष संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन

सरिता सैनी

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2023.v5.i1e.237

सारांश
वर्तमान में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के लिए यह आवश्यक है कि लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी होनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक समावेशी बनाती है। पिछले कुछ दशकों में भारत में पंचायती राज के माध्यम से सशक्तिकरण का जो दौर प्रारम्भ हुआ है उसमें महिलाओं की राजनीति में भागीदारी एक व्यापक अर्थ रखती है। 73वें, 74वें संविधान संशोधन को भी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक क्रान्तिकारी कदम कहा जा सकता है। इसी संशोधन के तहत पहली बार स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है उनमें अन्याय और शोषण के विरूद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है साथ ही पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्त्व को भी पहचाना है। 2020 के स्थानीय चुनावों में जयपुर जिला परिषद के 51 सदस्यों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पुरूषों से अधिक रही है। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में 11 महिला प्रधान अपनी भूमिका निभा रही है। जयपुर जिले में 605 ग्राम पंचायतों में 315 महिला सरपंच पद पर आसीन है।

कुटशब्दः राजनैतिक सहभागिता, महिला सशक्तिकरण, आरक्षण, संविधान संशोधन, लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

प्रस्तावना
पंचातयी राज संस्था जब प्रजातान्त्रिक व सार्थक होगी तभी ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की प्रभावशाली भागीदारी अथवा महिलाओं के विकास और अधिकारों की रक्षा सम्भव है। महिलाएँ समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण आयाम है। जब तक उनको यथोचित स्थान नही मिलेगा तब तक महिलाओं व समाज का विकास सम्भव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका देश के गाँवों में फैली अराजकता को दूर करेगी। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक चेतना व आन्दोलन की जरूरत है जो जनमानस में स्त्री के प्रति उसकी सोच में परिवर्तन करके स्त्री का पूर्ण विकास करें। आज जरूरत है बस महिलाओं के प्रति नजरिए में बदलाव लाने की शुरूआज हो चुकी है पर गति मन्द है जरूरत है आज इस रफ्तार को बढ़ाने की इसके लिए न केवल कानून द्वारा बल्कि वर्तमान आर्थिक व सामाजिक ढाँचे में बदलाव लाकर महिलाओं को और अधिक अधिकार देने की आवश्यकता है।

स्वामी विवेकानन्द ने कहा है कि महिला की स्थिति में सुधार के बिना विश्व का कल्याण नहीं हो सकता है क्योंकि पंछी के लिए एक पंख के साथ उड़ना मुश्किल है। देश की तरक्की के लिए हमें भारत की महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। 19वीं सदी के सुधार आन्दोलनों तथा स्त्रियों में बढ़ते हुए शिक्षा के प्रसार से स्त्रियों की स्थिति में सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी थी। परन्तु यह सुधार सीमित था। स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा उनकी वैधानिक सिथति भी समान होनी चाहिए, किन्तु समस्या इतने से ही हल नहीं हो जाती। यह समस्या उस बिन्दु पर शुरू होती है, जहाँ स्त्रियाँ राष्ट्रीय स्तर के विचार–विमर्शों में भाग लेकर उन्हें प्रभावित करने लगे।[1]

पंचायतें हमारे शासन तन्त्र की बुनियाद है। हाल ही में हुए चुनावों में अत्यधिक महिलाएँ निर्वाचित हुई हैं। लेकिन महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या पुरूष प्रधान समाज, अशिक्षा व परम्परागत रूढ़ियाँ है।

वर्तमान में जयपुर जिले में महिला जनप्रतिनिधियों के तथ्यों के आंकलन से ज्ञात होता है कि जिला परिषद के 51 सदस्यों में महिला प्रतिनिधियों की संख्या पुरूषों से अधिक है। जिला प्रमुख के पद पर महिला प्रतिनिधि है। जयपुर जिले की 22 पंचायत समितियों में 11 महिला प्रधान है एवं जयपुर जिले की कुल 605 ग्राम पंचायतों में महिला सरपंचों की संख्या 315 है।

तालिका 1: जयपुर जिले की महिला सरपंचों का तुलनात्मक अध्ययन[2]

क्र.सं.	वर्ष	कुल ग्राम पंचायत संख्या	महिला सरपंच संख्या	महिला सरपंच प्रतिशत
1.	2000	488	165	33
2.	2005	488	170	34
3.	2010	488	251	51
4.	2015	530	265	50
5.	2020	605	315	52

आँकड़े राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सांख्यिकीय रिपोर्ट सन् 2000–2020

तालिका 2: जयपुर जिले की कुल पंचायत समितियों में महिला सदस्यों का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	वर्ष	कुल पंचायत समिति संख्या	महिला सदस्य संख्या	महिला सदस्य प्रतिशत
1.	2000	315	108	34
2.	2005	315	124	39
3.	2010	315	161	51
4.	2015	385	190	49
5.	2020	446	259	58

आँकड़े राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सांख्यिकीय रिपोर्ट सन् 2000–2020

तालिका 3: जयपुर जिले की महिला प्रधानों का तुलनात्मक अध्ययन

क्र.सं.	वर्ष	पंचायत समिति	महिला प्रधान संख्या	महिला प्रतिशत
1.	2000	13	4	30
2.	2005	13	4	30
3.	2010	13	6	46
4.	2015	15	7	46
5.	2020	22	11	5052

आँकड़े राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग सांख्यिकीय रिपोर्ट सन् 2000–2020

तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट है कि 73वें संविधान संशोधन एवं सन् 2009 में महिलाओं को राजस्थान में 50 प्रतिशत आरक्षण मिलने से संख्यात्मक दृष्टि से महिला जनप्रतिनिधियों में वृद्धि हुई है।

ग्रामीण स्थनीय स्वशासन में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता आवश्यकता व महत्व

स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है इसलिए यह आवश्यक है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए। सत्ता विकेन्द्रीकरण से अधिक से अधिक व्यक्ति शासन कार्यों में भाग ले सकते है। वर्तमान में स्थानीय संस्थाओं में महिला जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। महिला जनप्रतिनिधियों के द्वारा स्थानीय महिलाओं की समस्याओं को बेहत्तर तरीके से समझा जाता है एवं उसका समाधान करवाया जाता है।

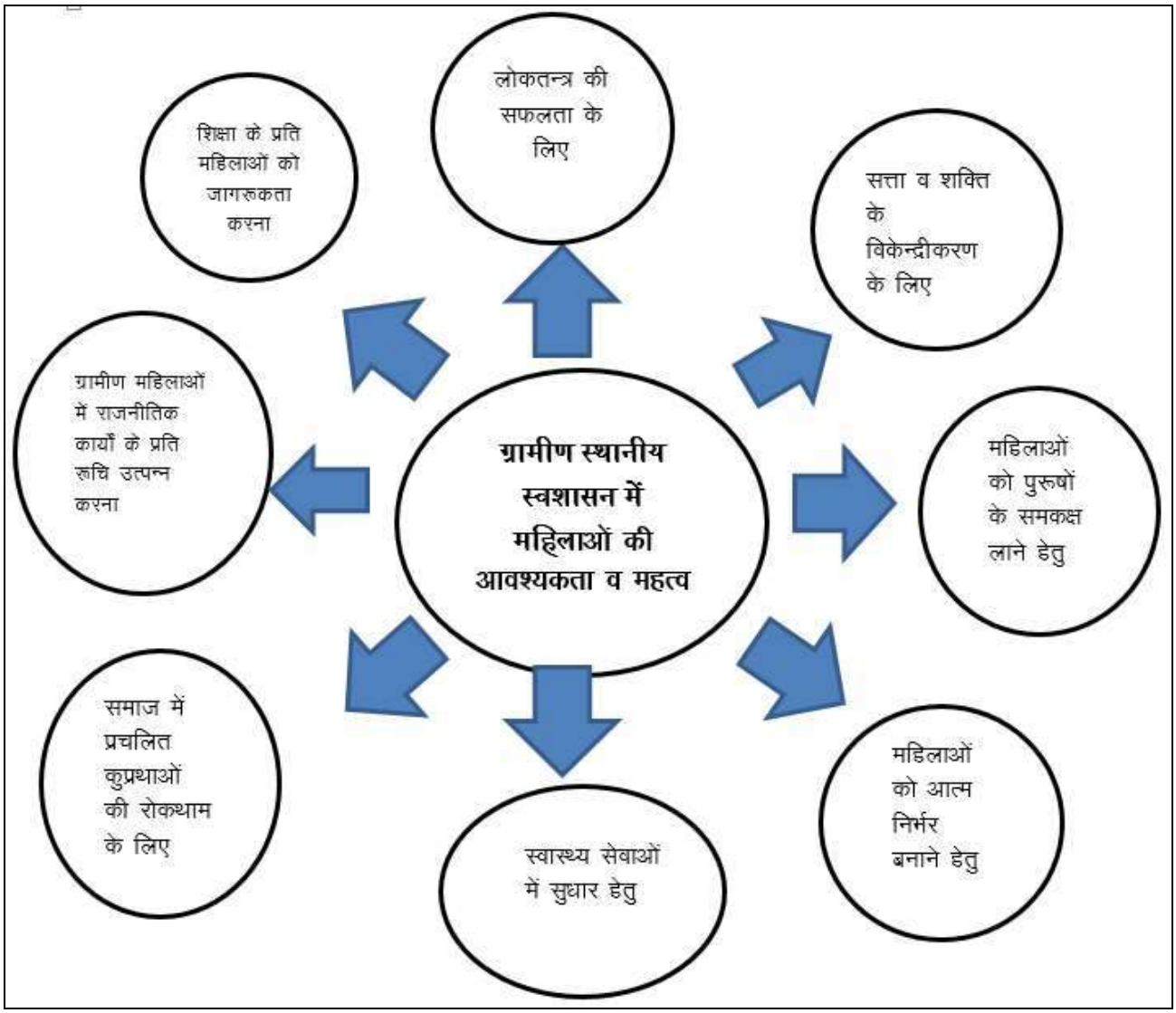

चित्र 1: ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की आवश्यकता व महत्व

1. **लोकतंत्र की सफलता के लिएः** देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महिलाएँ बढ–चढ़ कर भाग ले रही है बीते दशकों के आँकड़ें दर्शाते है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा मतदान में लैंगिक अन्तर कम हो रहा है। 15वीं विधानसभा चुनावों में पुरूष मतदान 73.80 प्रतिशत महिला मतदान 74. 66 प्रतिशत मतदान हुआ। इस बार महिलाओं ने पुरूषों के मुकाबले 0.86 फीसदी ज्यादा मतदान किया है। पिछले चुनाव में प्रदेश के इतिहास में पहली बार महिलाओं ने मतदान में पुरूषों को पछाड़ा था।[3]
2. **शक्ति व सत्ता विकेन्द्रीकरण के लिए आवश्यकः** पुरूष प्रधान समाज और उस समाज में पुरूष प्रधान राजनीति से लोकतंत्र की सफलता में संदेह है एक वर्ग के पास शक्ति का केन्द्रीकरण सही नहीं है। लोकतंत्र को सफल बनाने हेतु शक्ति का विकेन्द्रीकरण अर्थात् स्थानीय स्वशासन को महत्त्व देना साथ ही स्थानीय स्तर से सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। महिलाओं को भी पुरूषों के समान राजनीति में सहभागी बनाकर ही ऐसा संभव है।
3. **महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष लाने के लिएः** पुरूष प्रधान समाज में प्रत्येक क्षेत्र में चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों का वर्चस्व युगों से बना रहा है। इसी कारण महिलायें पुरूषों के मुकाबले काफी पीछे है। राष्ट्र के विकास की भी सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि आधी ताकत ताले में बंद है। अगर स्थानीय स्तर से ही महिलाओं को पुरूषों के समकक्ष लाने के कारगर प्रयत्न किये जाने आवश्यक है।
4. **महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतुः** पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका महिलाओं के राजनीतिजक सशक्तिकरण के वाहक के रूप में उभरी है। ग्रामीण महिलायें अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई है। उनके व्यक्तित्व में परिवर्तन आया हैं उनमें आत्मविश्वास एवं स्वचेतना बढ़ी है। महिलाओं में आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता तभी आयेगी जब उन्हें उन्नति करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराए जाऐ।
5. **स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिएः** महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को यदि स्वास्थ्य की उक्त परिभाषा से जोड़कर देखा जाये तो महिलाओं को अभी बहुत मंजिलें तय करनी है। निरक्षर ग्रामीण भारतीय महिला पर एक दृष्टि डाले तो यह स्पष्ट है कि उसे अपनी शारीरिक या मानसिक वस्तुस्थिति का स्पष्ट ज्ञान तक नहीं है। ऐसे में महिला जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। ग्रामीण महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का कार्य भी महिला जनप्रतिनिधि बेहत्तर तरीके से कर सकती है।
6. **समाज में प्रचलित कुप्रथाओं की रोकथाम हेतुः** वर्तमान में अनेकों कानून बनने के बावजूद आज भी समाज में अनेक कुप्रथाऐं प्रचलित है। अधिकांशतः इनमें महिलाएँ ही प्रताड़ित होती है। अतः इन समस्याओं के समाधान में महिला जनप्रतिनिधियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। महिला जनप्रतिनिधि गाँव की प्रताड़ित महिलाओं से मिलकर उन्हें विश्वास में लेकर उस पर होने वाले अत्याचारों को जानकर उसके ऊपर अत्याचार करने वालों के खिलाफ कार्यवाही करके महिलाओं को न्याय दिला सकती है।
7. **ग्रामीण महिलाओं में राजनीति में भाग लेने के प्रतिरूचि उत्पन्न करनाः** स्थानीय स्वशासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सामान्य जनता में राजनीति की समझ उत्पन्न करना। राजनीति में रूचि लेने की प्रवृत्ति जागृत करना जिससे वे समझ सके कि स्थनीय संस्थाओं के माध्यम से वे कैसे अपनी समस्याओं का निराकरण करें।[4] स्थानीय स्वशासन में सक्रिय रहने के लिए स्व–शासन अत्यन्त आवश्यक है। जब ग्रामीण महिलायें स्वयं जागरूक होगी तब वह स्थानीय स्वशासन के कार्यों को भली प्रकार से कर सकगी।
8. **शिक्षा के प्रति महिलाओं को जागरूक करनाः** शिक्षित महिलाएँ अपने घर–परिवार, गाँव, समाज, राष्ट्र सभी के विकास में अपना महत्त्वपूर्ण येागदान देती है।

एक शिक्षित महिला दो परिवारों के विकास में योगदान देती है उसी तरह शिक्षित महिला जनप्रतिनिधि सम्पूर्ण गाँव में शिक्षा की अलख जगायेगी। साथ ही शिक्षित महिला जन प्रतिनिधि राजनीति के कार्यों को करने में रूचि रखती है साथ ही प्रशासनिक कार्यों के प्रति भी उनकी समझ में वृद्धि होती है।

महिला जनप्रतिनिधियों के समक्ष समस्याएँ एवं चुनौतियाँ

राजस्थान के ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला प्रतिनिधियों की भागीदारी अभी तक कारगर नहीं बन पाई है। निरक्षरता व जागरूकता के अभाव में भी कई निर्वाचित महिला प्रतिनिधि वास्तविक रूप में अपनी शक्तियों व अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाती है। पंचायतों में महिलाओं की सहभागिता अनिवार्य हो गई है किन्तु यह तर्क भी ध्यान देने योग्य है कि विधान बनाने मात्र से बदलाव नहीं लाया जा सकता है। महिला सरपंचों का कहना है कि ग्राम सभा में वह गाँव के बड़े बुजुर्गों के सामने बिना घूंघट के कुर्सी पर कैसे बैठ सकती है। उनका कहना है कि इससे उनकी परम्पराओं व संस्कारों का अपमान होगा उन्हें बेशर्म कहा जाएगा और सरपंच बनने पर उनमें अभिमान आ गया है ये सब सुनने को मिलता है। इस प्रकार महिला जनप्रतिनिधियों को अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिनमें कुछ समस्याएँ निम्न हैः–

1. **शिक्षा का अभावः** राजस्थान में साक्षरता दर कम होने की कमी चुनावों के दौरान देखी जाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाएँ प्रतिनिधि बनकर आती है, वास्तव में उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। शिक्षित नहीं होने के कारण महिला प्रतिनिधि अपने अधिकारों व कर्तव्यों का सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाती है। भारत में स्त्रियों की दुर्दशा प्राचीन समय से चली आ रही है। मनु जैसा विचारक, चिंतक और मनीषी भी स्त्री को घर के कार्यों में ही बंद रखना चाहते है। उनके अनुसार "स्त्री का कार्य स्त्री–स्वभावानुकूल होना चाहिए जैसे स्त्रियों का कार्य गृहस्थी का है इसलिए वह गृहलक्ष्मी कहलाती है।[5] अतः शिक्षा के अभाव में महिलाएँ पिछड़ी हुई है। अशिक्षा के कारण वे अंधविश्वासों, कुसंस्कारों और रूढ़ियों में जकड़ गयी है।
2. **अधिकारों के प्रति अनभिज्ञताः** महिला प्रतिनिधि आरक्षण के कारण पुरूष रिश्तेदारों की प्रेरणा से पंचायती राज व्यवस्था के चुनावों में भाग लेती है ओर चुनाव जीत भी जाती है। लेकिन अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है। आरक्षित वर्ग की महिला तो हमेशा पुरूषों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाती है। लोकतंत्र की सही सफलता इसमें है, जब महिला जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का स्वयं प्रयोग करें।[6]
3. **जातीय गुटबंदीः** महिला सरपंचों की समस्या का एक कारण ग्राम सभा में पाई जाने वाली जातीय गुटबंदी भी है। यद्यपि भारतीय संविधान जातीय भेदभावों को प्रश्रय नहीं देता फिर भी भारतीय समाज में जीवन के हर क्षेत्र में जाति की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। आज भी गाँवों में जातिवाद विद्यमान है। अपनी जाति को ही वोट व उनके पक्ष में निर्णय देते हैं और उनके निर्णय को ही ज्यादा प्रभावी तरीके से मानते हैं। निम्न जाति की महिला प्रतिनिधि के निर्णय को लागू करने में ऊँची जाति के लोग परेशानी खड़ी कर देते

है। अगर पंचायत के मुखिया के पद पर कमज़ोर वर्ग की महिला आरक्षण के कारण चुन ली जाती है तो उनके समक्ष कई समस्याएँ उत्पन्न हो जाती है निर्णय लेते समय सभी स्तरों पर इन महिलाओं की रॉय पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

4. **प्रशिक्षण का अभावः** पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं महिला प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का अभाव भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए सरल भाषा में साहित्य तैयार किया है, जो जनता में पंचायतों के प्रति जागृति पैदा करने के लिए उत्कृष्ट है, किन्तु प्रत्येक स्तर पर पहुँचाने के लिए कार्यकारी प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था का अभाव है।[7]
5. **निर्धनताः** राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर निर्धनता का प्रतिशत बहुत अधिक है। महिला सरपंच स्वयं वित्तीय समस्या से जूझ रही है। गाँवों में आज भी अनेक महिला प्रतिनिधियों को खासकर कमजोर वर्ग की महिलाओं को वित्तीय समस्या की वजह से अपने परिवार का पालन–पोषण करने के लिए कृषि कार्य अथवा मजदूरी पर जाना पड़ता है। महिला प्रतिनिधियों का कहना है कि यदि वे पंचातयतों की बैठकों में जोयगी तो उनके परिवार का पालन–पोषण कौन करेगा।
6. **जागरूकता का अभावः** पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों को पंचायती राज के बारे में न तो जानकारी है और न ही उन्हें अपने अधिकारों तथा दायित्वों का ज्ञान है। महिला प्रतिनिधि स्वयं जागरूक नहीं है जिसके पीछे सबसे बड़ी समस्या उनके पति पिता भाई के द्वारा कार्य किये जाते है जिसके कारण वे पंचायत के कार्यों में रूचि नहीं लेती है। अतः महिला प्रतिनिधियों का उदासीन दृष्टिकोण भी एक प्रमुख समस्या है।
7. **घूंघट प्रथाः** गाँवों में घूंघट प्रथा को सम्मान का प्रतीक बताया गया है बुजुर्गों को सम्मान देना बताया है। महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए उन्हें आरक्षण के जरिये पंचायतों का प्रतिनिधित्व की जिम्मेदारी भले ही दी गई है, लेकिन अधिकांश महिला प्रतिनिधि घूंघट की ओट से बाहर नहीं निकल पा रही है।
8. **पितृ सत्तात्मक संस्कृति एवं सामाजिक संरचनाएँः** पितृ सत्तात्मक संस्कृति एवं सामाजिक संरचनाएँ ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती है। महिला जनप्रतिनिधियों का कार्य उनके पति देखते है। तभी सरपंच पति जैसे शब्द बहुत ही प्रचलित रहते है। महिला प्रतिनिधि मात्र हस्ताक्षर करती है। साथ ही हमारी सामाजिक संरचनाएँ कुछ इस प्रकार बनी है कि महिलाएँ घर के सभी काम करती है। अक्सर महिला प्रतिनिधियों की यह शिकायत रहती है घर चलाने के साथ राजनीतिक भागीदारी निभाने में काफी परेशानी होती है।

महिला जनप्रतिनिधियों का स्थानीय संस्थाओं में सक्रिय सहभागिता हेतु सुझाव

1. **शिक्षा का उचित प्रबन्धः** ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं एवं समाज की रूढ़िवादी सोच में परिवर्तन लाया जा सकता है। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती है।
2. **महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनानाः** महिलाओं को ऐसे अवसर उपलब्ध कराना जिससे वह स्वयं की शक्तियों, योग्यता, स्वयं का हुनर पहचान सके, महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है महिलाएँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने हेतु सरकारी कार्यक्रम व विभिन्न योजनाओं को महिलाओं के पक्ष में करना होगा।
3. **प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करनाः** ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के विषय में महिला प्रतिनिधियों का उचित प्रशिक्षण अनिवार्य है, जो प्रतिवर्ष कम से कम दो बार हो। महिलाओं को ग्रामीण स्तर पर भी प्रशिक्षण देना जरूरी है जिससे वे सुविधाओं का ठीक से लाभ उठा सके।[8]
4. **सामाजिक व कानूनी सुरक्षा प्रदान करनाः** पंचायतों में कई महिला प्रतिनिधियों के साथ होने वाले अपराधों एवं हिंसा की घटनाओं का सामाजिक स्तर पर सामूहिक विरोध करना चाहिए। महिला प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलु हिंसा एवं बाल अधिकारों आदि का एकजूट नुक्कड़ नाटक कर सभी को अवगत कराना।
5. **सरकारी अभिकरणों, रेडियों, दूरदर्शन, प्रेस व समाचार पत्रों से जागरूकता लानाः** "इण्डियन एसोसिएशन ऑफ वूमन स्टडीज ने देश में महिला मतदाताओं को जागरूक करने का अभियान शुरू किया गया, जिसमें रेडियों तथा दूरदर्शन के माध्यम से दूर–दराज इलाकों में पंचायत सम्बन्धि सूचना पहुँचाना व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित करना मुख्य रूप से समाहित है। ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
6. **महिलाओं के प्रति व्यवहार में परिवर्तन लानाः** ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अपने स्वयं के व्यवहार के साथ–साथ पुरूषों को भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। समाज स्वयं महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में भागीदार बनायेगा तभी देश व महिलाओं का विकास संभव हो पायेगा।
7. **मीडिया की भूमिकाः** 21वीं सदी के इस युग में समाज के विकास में सूचना व मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। महिलाओं को प्रोत्साहित करने व उनको आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं के मुद्दे व समस्याओं को समाज एवं व्यवस्था के सम्मुख प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समाज महिलाओं के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदलाव ला सके।[9]
8. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को महज प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में राजनीतिक सहभागिता के लिए ही आवश्यक नहीं समझा जाना चाहिए, वरन् महिलाओं के विकासात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जरूरी माना जाता है।
9. पंचायतों के सशक्तिकरण एवं राजनीतिक समाजीकरण को प्राप्त करने के लिए समय–समय पर महिला मेलों एवं संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए।
10. महिलाओं को अपने अधिकारों व समस्याओं के प्रति हर स्तर पर निर्णय–निर्माण में सहभागिता, सूचना प्राप्ति की उत्कंठा, शोषण का विरोध व उदासीनता का त्याग करके समाज में सक्रिय भागीदारी के लिए स्वयं को पहल करनी पड़ेगी।
11. लोकतांत्रिक समाज का मुख्य आधार स्तम्भ है राजनीति दल राजनीतिक दलों को महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए एवं अपने संगठनों में महिलाओं को अधिक संख्या में स्थान देना चाहिए।

निष्कर्ष

देश के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला नेतृत्व विकास अत्यन्त आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्य धारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है।

महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत् विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं

पुरूषों की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी, क्योंकि ग्रामीण महिलाओं को सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति–निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं होगी। अभी महिला नेतृत्व विकास के लिए बहुत रास्ते पार करने है, बहुत से कदम उठाने बाकी है। राजनीतिक भागीदारी न केवल महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण का प्रतीक है, बल्कि यह आगे भी जागरूकता पैदा करती है और बड़े पैमाने पर उनके और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक क्षेत्र का एक हिस्सा होने के लिए अन्य महिलाओं को प्रोत्साहित करती है।

संदर्भ ग्रन्थ

1. महात्मा गाँधी यंग इण्डिया, 17.10.1929.
2. राज्य निर्वाचन आयोग सांख्यिकीय रिपोर्ट वर्ष 2000–2020.
3. दैनिक भास्कर, कोटा 9 दिसम्बर, 2018
4. महेश्वरी, श्रीराम, लोकल गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया, आगरा पब्लिकेशन, 1971, पृ. 228
5. मनुस्मृति, पृ. 19–11–192
6. महिलपाल, पंचायती राज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2011, पृ. 20
7. अंजु, पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, International Journal of Applied Research, 2015, पृ. 333.
8. पंचायती राज और महिला सशक्तिकरण, International Journal of Political Science and Governance, 2020 ISSN 2664&603x पृ. 28.
9. चौहान, भीम सिंह, राजस्थान के पंचायतीराज में महिलाओं का योगदान, अरिहन्त प्रकाशन, पृ. 69